न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़
(पीठासीन अधिकारी – श्री भास्कर बिश्नोई आर.ए.एस.)

मिसल नं0 984/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 463/10)
दायरा दि0 08/09/2010

उनवान

1. धन्नालाल पुत्र राधाकिशन जाति धाकड निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर
2. मोहनलाल पुत्र राधाकिशन जाति धाकड़ निवासी धानौदाखुर्द तह0 खानपुर

— वादीगण

बनाम्

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री लेखराजसिंह चंद्रावत अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 03/04/2018

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 91, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम धानौदाकलां की ख0नं0 763 की 7.02 बीघा आराजी को श्रीमान् परगना अधिकारी अकलेरा के पत्र कमांक 629/राजस्व/76 दि0 06.08.76 मि0नं0 106 प्रार्थना पत्र धारा 175 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत इंतकाल नं0 13 दि0 13.11.1976 से सिवायचक दर्ज कर कब्जा राज प्राप्त दर्ज किया गया था। उपरोक्त वर्णित आराजी किस्म सिवायचक को दिनांक 26.05.1989 को आवंटन कमेटी द्वारा राजस्व अभियान के तहत वादीगण को नियमानुसार आवंटित की गयी। आवंटन पत्रावली पर तहसीलदार, विकास अधिकारी, सरपंच एवं आवंटन अधिकारी एवं अध्यक्ष श्रीमान् ए0डी0एम0 सा0 झालावाड़ द्वारा आवंटित की गयी। आवंटन आदेश दिनांक 26.05.1989 की पालना में पट्टा फीस जमा होने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट दि0 27.05.1989 व सर्किल कानूनगो की रिपोर्ट दि0 21.07.89 के आधार पर तहसीलदार खानपुर द्वारा इंतकाल नं0 264 दि0 22.07.1989 को खोलकर तस्दीक किया गया और कब्जा आराजी वादीगण को संभलाया गया, तब से वादीगण उपरोक्त वर्णित आराजी को शांति पूर्वक कब्जे करते आ रहे हैं। आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जे काश्त करते रहने के कारण दि0 02.06.2000 को इंतकाल नं0 440 तस्दीक कर वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। राजस्व रेकार्ड इंतकाल व जमाबंदी की नकल संलग्न है। प्रतिवादी को उपरोक्त आराजी की 175 की कार्यवाही से सिवायचक दहर्ज करने एवं आवंटन कमेटी द्वारा आराजी वादीगण को आवंटित करने की सम्पूर्ण जानकारी थी व यह स्वंय आवंटन कमेटी में उपस्थित थे तथा आवंटन आदेश के अनुसार ही इंतकाल तस्दीक कर वादीगण को गैरखातेदारी व खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं।

प्रतिवादी द्वारा विधि के प्रावधानों की जानबूझकर घोर उपेक्षा करते हुये अपने लोक सेवक कर्तव्य पालन में भी उपेक्षा बरतते हुये भी माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया तथा सरकार बनाम गोदा वगैरह के नाम से प्रार्थना–पत्र पेश कर तथ्यों को छिपाते हुये पुनः आराजी को सिवायचक दर्ज करने का विधि विरूद्ध तरीके से आदेश प्राप्त कर लिया, जो कि विधि की नजर में शून्य एवं प्रभावहीन आदेश है। उक्त आदेश वादीगण के अधिकारों प्रभाव शून्य है। वादीगण को सूचित किये बगैर ही इंतकाल नं0 685 दि0 09.08.2010 तस्दीक अपने पक्ष में कर लिया जबकि

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

उपरोक्त आराजी पर वादीगण की फसल खडी हुई है। नियमानुसार वर्ष की पहली जुलाई से फसल जोत का कार्य प्रारंम्भ हो जाता है। प्रतिवादी को फसल जोत के बाद कृषक को खड़ी फसल से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी जबरन विधि विरूद्ध तरीके से वादीगण को बेदखल कर फसल को खुर्द बुर्द करने पर आमादा हो रहा है, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक है। उपरोक्त वर्णित आराजी के बावत् विवादित मामले में प्रतिवादी द्वारा गुंमराह करवाकर न्यायालय से विधि के प्रावधानों के विरूद्ध अपने पक्ष में आदेश पारित करवाया गया है। वह शून्य है और उक्त आदेश की पालना में खोला गया इंतकाल नं0 685 दि0 09.08.2010 वादीगण के अधिकारों पर शून्य व बेअसर होने के कारण खारिज होने योग्य है। विशेषतः दि0 21.07.89 को श्री शिवशंकर शर्मा जो कि सर्किल कानूनगो नूरजी गाडरवाडा द्वारा ही इंतकाल नं0 264 पर रिपोर्ट कर आराजी वादीगण के खाते दर्ज करवायी गयी और उन्ही महाशय द्वारा नायब तहसीलदार की हैसियत से इंतकाल नं0 685 को दि0 09.08.2010 को वादीगण के विरूद्ध तस्दीक किया गया। वादीगण दि0 22.07.1989 से लगातार आज दिन तक खातेदार व कब्जे काश्तकार चले आते रहने के कारण खातेदार टीनेंट हो गये है। पटवारी द्वारा वादीगण को आराजी से बेदखल कर उनकी फसल को खुर्द बुर्द करने की धेतावनी देने से वाद कारण दि0 13.08.2010 को उत्पन्न हुआ है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी ख0नं0 763 की 7.02 बीघा का वादीगण को खातेदार टीनेंट घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी को इस आशय की निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि वह वादीगण को उपरोक्त आराजी को काश्त करने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस आशय की डिक्री सादिर अता फरमाई जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने जवाब पेश किया कि वादग्रस्त आराजी गोदा पुत्र कान्हा जाति भील सा0 राजपुरा के खाते की थी, जो अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आता है। इसके द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को आराजी विक्रय करने पर धारा 175–177 आर0टी0एक्ट के अन्तर्गत माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानुपर के निर्णय दि0 30.08.10 की अनुपालना में सिवायचक दर्ज हुई है। उक्त प्रकरण में वादी को आराजी आवंटन होने संबंधी तथ्य प्रस्तुत करने चाहिये थे, इनके द्वारा तथ्यों को छिपाया गया है। इनका वाद निरस्त होने योग्य है। वादी के वाद एवं प्रतिवादी के जवावदावा के अनुसार विवादित बिन्दूओं पर निम्न तनकीयात कायम की गयी :–

1. आया वादग्रस्त आराजी ख0नं0 763 की 7.02 बीघा वादीगण को नियमानुसार आवंटित की गयी है जिसका इन्तकाल नं0 264 तस्दीक किया गया है। 22.07.1989 को कब्जा आराजी वादीगण को संम्भलाया गया है, तब से वादीगण, आराजी पर कब्जा काश्त करते हुये आ रहे है। वादी खातेदार टीनेंट घोषित होने योग्य है ?
— वादी

2. आया वादग्रस्त आराजी को 175 आर.टी.एक्ट के तहत सिवायचक दर्ज करने करने के आदेश की पालना में दि0 13.11.1976 को सिवायचक दर्ज कर दी गयी जिसकी कानूनन भली प्रकार से जानकारी प्रतिवादी को प्राप्त थी ?
— वादी

3. आया प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय को गुमराह किया तथा सरकार बनाम् गोदा वगै0 के नाम से प्रार्थना पत्र पेश कर तथ्यों को छिपाते हुये पुनः आराजी को सिवायचक दर्ज करने का विधि विरूद्ध तरीके से आदेश प्राप्त कर लिया ?
— वादी

4. आया धारा 175 आर.टी.एक्ट के प्रकरण में वादीगण को प्रतिवादी बनाया गया था। उक्त वाद में वादीगणों को अपना पक्ष रखना चाहिये था। वादीगण ने यहां तथ्य छुपाये है।
— प्रतिवादी

5. आया वादग्रस्त आराजी गोदा पुत्र कान्हा जाति भील निवासी राजपुरा के खाते की होने तथा सर्वण को बैचान होने से प्रकरण सं0 3/09 ,सरकार बनाम् गोदा वगै0 में धारा 175 आर.टी. एक्ट के अर्न्तगत माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो0 खानपुर के निर्णय दि0 30.08.

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

10की अनुपालना में नामा0सं0 685 से दि0 09.08.2010 से सिवायचक दर्ज हुई है तथा कब्जे राज में है। वर्तमान में वादीगण इस पर अतिक्रमी है। वाद वादी खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी

अधिवक्ता वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी धन्नालाल, गवाहान मोहनलाल, रामगोपाल, बजरंगलाल के बयान दर्ज कराये तथा दस्तावेज Exp1 लगा0 Exp9 प्रदर्श कराये। अन्य साक्ष्य से इंकार करने पर साक्ष्य वादी बंद की जाकर प्रतिवादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया गया। दिनांक 14.12.17 को प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार ने प्रकट किया कि वह अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, प्रस्तुत रेकार्ड अनुसार वाद का निर्णय चाहते हैं। इस पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वाद–पत्र को दोहराते हुये प्रकट किया कि वादग्रस्त आराजी उन्हें दिनांक 26.05.1989 को विधिवत आवंटित हुई है। पट्टा फीस जमा कराने पर इंतकाल नं0 264 से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं तथा इंतकाल नं0 440 से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं। आराजी आवंटन दिनांक से ही हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रतिवादी ने उपरोक्त सभी तथ्यों की जानकारी होते हुये भी प्रतिवादी ने सरकार बनाम गोदा वगैरह के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी को सिवायचक दर्ज करने का विधि विरूद्ध आदेश प्राप्त किया है, जो विधि के अनुसार शून्य एवं प्रभावहीन है। आराजी पर आज भी हमारा ही कब्जा है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें Exp1 लगा0 Exp9 पेश की है तथा वादी धन्नालाल, गवाहान मोहनलाल, रामगोपाल, बजरंगलाल के बयान दर्ज कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा स्वीकार कर डिक्री करें।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि यह आराजी गोदा पुत्र कान्हा जाति भील सा0 राजपुरा के खाते की थी। भील जाति अनुसूचित जन जाति के अन्तर्गत आती है। इनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का बैचान धन्नालाल धाकड़ को किया गया है, जिसमें धारा 42 का उल्लंघन होने से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महो0 खानपुर के प्रकरण सं0 3/09 उनवान राजस्थान सरकार बनाम् गोदा वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 30.04.10 की अनुपालना में ग्राम धानोदाकलां की ख0नं0 763 की 7.02 बीघा आराजी सिवायचक दर्ज की गई है। उक्त प्रकरण में वादीगण पक्षकार थे तथा इनको आराजी के आवंटन से संबंधित जानकारी वक्त सुनवाई न्यायालय के ध्यान में लाना चाहिये था किन्तु इनके द्वारा तथ्यों को छुपाया गया है। जब इस आराजी एवं इन्ही पक्षकारान के मध्य प्रकरण सं0 3/09 इस न्यायालय से निर्णित हो चुका है तो वादीगण इस आराजी का वाद पुनः इस न्यायालय में नहीं ला सकते। इनको उक्त निर्णय दि0 30.04.10 की अपील करनी चाहिये थी। इस प्रकार इस प्रकरण में रेस जेडूकेटा का सिद्धान्त लागू होता है, इनका वाद इस न्यायालय में चलने योग्य नहीं होने से मय खर्चा खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का भली भांति अध्ययन किया एवं उभय पक्ष की बहस सुनी। पेरोकार सरकार ने आपत्ति की है कि उनके द्वारा जवाबदावे में यह आपत्ति की है कि प्रश्नगत आराजी के संबंध में इसी न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार बनाम् गोदा वगैरह प्रकरण सं0 3/09 में दिनांक 30.04.2010 को अंतिम विनिश्चय किया जा चुका है, जिसकी पालना में ग्राम धानोदाकलां की ख0नं0 763 की 7.02 बीघा प्रश्नगत आराजी सिवायचक दर्ज की जा चुकी है। उक्त पूर्व निर्णित प्रकरण में वादीगण भी प्रतिवादी के रूप में पक्षकार के रूप में संयोजित थे तथा उक्त प्रकरण में सभी पक्षकारों को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा गुणावगुण के आधार पर अंतिम विनिश्चय किया था। वादीगण यदि उक्त निर्णय से असहमत थे तो उन्हें अपील न्यायालय में अपील करनी चाहिये थी, जो कि इनके द्वारा नहीं की गई, परंतु वादीगण ने पुनः इसी न्यायालय में उसी आराजी के संबंध में नवीन वाद दायर कर दिया गया जो कि विधि–विरूद्ध है एवं सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आपत्ति का अंतिम विनिश्चय से पूर्व निस्तारण करते हुये वाद को खारिज फरमाया जावे।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner

विद्वान अधिवक्ता वादी ने दौराने बहस जाहिर किया कि वादग्रस्त आराजी उन्हें दिनांक 26.05.1989 को विधिवत आवंटित हुई थी। पट्टा फीस जमा करवाने के बाद इंतकाल सं0 264 से खातेदारी दी गयी है। प्रतिवादी ने सरकार बनाम् गोदा वगैरह के नाम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आराजी को सिवायचक दर्ज करने का विधि विरूद्ध आदेश प्राप्त किया है, जो विधि के अनुसार शून्य एवं प्रभावहीन है।

हमने दावा एवं जवाबदावा का भली भांति अवलोकन किया। वादी ने अपने दावे के पेरा 6 में यह स्वीकार किया है कि :– प्रतिवादी द्वारा विधि के प्रावधानों की जान बूझकर घोर उपेक्षा करते हुये अपने लोक सेवक कर्तव्य पालन में भी उपेक्षा बरतते हुये माननीय न्यायालय को गुमराह किया गया तथा सरकार बनाम् गोदा वगैरह के नाम से प्रार्थना पत्र पेश कर तथ्यों को छिपाते हुये आराजी को पुनः सिवायचक दर्ज करने का विधि विरूद्ध तरीके से आदेश प्राप्त कर लिया

हमने प्रतिवादी एवं पेरोकार सरकार द्वारा जवाबदावा के साथ पेश न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 30.04.2010 की प्रति का ससम्मान अवलोकन किया। उक्त प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम् गोदा वगैरह के नाम से प्र0सं0 03/09 दिनांक 14.05.2009 को न्यायालय हाजा में वर्तमान वाद के प्रतिवादी एवं पेरोकार सरकार द्वारा दायर किया गया था। उक्त प्रकरण में वर्तमान वाद के वादीगण, प्रतिवादी के रूप में संयोजित है। प्रकरण में विवादित आराजी वर्तमान वाद में विवादित आराजी अर्थात ग्राम धानौदाकलां की ख0नं0 763 की 7.02 बीघा आराजी ही है। उक्त प्रकरण की नियमानुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरांत माननीय न्यायालय हाजा द्वारा गुणावगुण के आधार पर दिनांक 30.04.2010 को अंतिम रूप से विनिश्चय किया गया है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः यह सुस्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व निर्णित प्रकरण राजस्थान सरकार बनाम गोदा वगैरह प्रकरण सं0 03/09 निर्णय दि0 30.04.2010 एवं वर्तमान विचाराधीन वाद में पक्षकार, विवाद की विषय वस्तु एवं पक्षकारों का दावा एक समान है। वादी स्वंय यह स्वीकार करता है कि प्रश्नगत प्रकरण में राजस्थान सरकार बनाम् गोदा वगैरह में निर्णय इस न्यायालय द्वारा किया जा चुका है, परंतु वादी का कथन यह है कि माननीय न्यायालय हाजा का उक्त पूर्व निर्णय विधि विरूद्ध है। अगर उक्त निर्णय से जो भी पक्षकार सहमत नहीं था तो उसे उसकी निर्धारित मियाद में इसके विरूद्ध माननीय अपीलीय न्यायालय में अपील की जानी चाहिये थी जो कि उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार नहीं की गई। अतः जब तक माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय के संबंध में अपना कोई पृथक निर्णय पारित नहीं कर दिया जाता है तब तक यह निर्णय अपने आप में अंतिम निर्णय है। न्यायालय हाजा सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय(रेस ज्यूडिकेटा) से आबद्ध है तथा वह एक बार गुणावगुण के आधार पर अंतिम रूप से विनिश्चय समान प्रकरण को पुनः नहीं सुन सकती है और ऐसा किया जाना न्याय की अंतहीन श्रृंखला के समान हो जायेगा।

अतः वादी का वाद सिविल प्रकिया संहिता 1908 की धारा 11 पूर्व न्याय (रेस ज्यूडिकेटा) से बाधित होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

निर्णय आज दिनांक 03/04/2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
खानपुर (झालावाड़)

Scanned by CamScanner